:: स्व–विवेक जिला विकास योजना ::

:: दिशा–निर्देश परिपत्र ::

1. प्रस्तावना :–

1.1 जिला स्तर पर स्थानीय संसाधनो का समुचित उपयोग करते हुए विभिन्न क्षेत्रों के विकास में समरूपता प्राप्त करने एवं निवेश के विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से राज्य में वर्ष 1988–89 से ''निर्बन्ध राशि योजना'' प्रारम्भ की गई । इस योजनान्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ–साथ रोजगार के सृजन के भी अवसर उपलब्ध करवाये गये । निर्बन्ध राशि योजनान्तर्गत जिलों के जिला कलक्टर को क्षेत्र आवश्यकता एवं आपातकालीन परिस्थितियों में जन–आकांक्षाओं के अनुरूप कार्यों के क्रियान्वयन के लिए जिला कलक्टर द्वारा अधिकतम 5.00 लाख रू. स्वीकृत किये जाते रहे हैं । निर्बन्ध राशि योजना वर्ष 1999–2000 तक राज्य में क्रियान्वित की गयी, इस योजनान्तर्गत औसतन लगभग 15.00 करौड रू. का प्रावधान प्रति वर्ष कराया जाता रहा । वर्ष 2000–2001 से इस योजनान्तर्गत बजट प्रावधान नहीं होने के कारण यह योजना बन्द कर दी गई ।

1.2 राज्य में वर्तमान में ऐसी कोई योजना नही है, जिसके तहत जिला कलक्टर क्षेत्र की आवश्यकता एवं आपातकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जन–आकांक्षाओं के अनुरूप स्व–विवक से अपने स्तर पर निर्णय लेकर विकास कार्य करा सकें । राज्य में प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य कारणों से क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने व विकास कार्य कराने के लिए जिला कलक्टर्स को बजट संबंधी समस्याओं का सामना करना पडता है । फलस्वरूप क्षेत्र की आवश्यकता के बावजूद भी वे अपने स्तर से निर्णय कर विकास कार्य स्वीकृत नहीं कर सकते हैं ।

1.3 क्षेत्र में विकास की आवश्यकता एवं आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने व रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु जिला कलक्टर्स के स्तर पर स्व–विवेक बजट का होना आवश्यक प्रतीत होता है । इस बजट को स्व–विवेक जिला विकास योजना का नाम दिया जाकर प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है ।

2.0 योजना के उद्देश्य :–

2.1 जिला कलक्टर द्वारा अनुभव की गई क्षेत्र की आवश्यकता एवं उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों में क्षेत्र में जन–आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य स्वीकृत कर रोजगार के अवसर सृजित करना ।

2.2 सामुदायिक परिसम्पत्तियों एवं अन्य आधारभूत भौतिक सम्पत्तियों का सृजन ।

2.3 स्थानीय समुदाय को रोजगार की उपलब्धता एवं उनके जीवन स्तर में सुधार ।

3.0 योजना की विशेषताएँ :–

3.1 यह राज्य वित्त पोषित योजना है ।

3.2 यह राज्य के ग्रामीण एव शहरी दोनो क्षेत्रों में लागू हो सकेगी ।

3.3 योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि के लिए कार्यो की स्वीकृति जिला कलक्टर द्वारा योजना के दिशा–निर्देशानुसार जारी की जायेगी।

3.4 इस योजना का अन्य योजनाओं के साथ डबटेलिंग किया जा सकेगा।

3.5 इस योजनान्तर्गत जन–सहयोग से प्राप्त राशि का भी उपयोग किया जा सकेगा ।

4.0 योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्य :–

4.1 इस योजनान्तर्गत स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता का कोई भी सार्वजनिक कार्य कराया जा सकेगा, जिसमें सामुदायिक परिसम्पत्तियों / आधारभूत भौतिक सुविधाओं के सृजन के साथ–साथ क्षेत्रीय विकास व रोजगार के अवसर भी सृजित हों।

4.2 इस योजनान्तर्गत संबंधित जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थानीय जन आकांक्षाओं के अनुरूप जनोपयोगी कार्य करवाये जा सकेंगे ।

4.3 इस योजनान्तर्गत उन्हीं कार्यो को स्वीकृत करने में प्राथमिकता दी जावेगी, जिनके लिये राज्य सरकार की वार्षिक योजना में साधारणतया धनराशि या तो नहीं मिलती हो या अपर्याप्त राशि ही मिल पाती हो ।

4.4 इस योजना द्वारा केवल ऐसे कार्यो पर ही राशि व्यय की जा सकेगी, जिससे सृजित होने वाली परिसम्पत्तियां किसी राजकीय विभाग या पंचायती राज संस्था के स्वामित्व की हो ।

4.5 इस योजनान्तर्गत पेयजल हेतु हैण्ड–पम्प/ ट्यूब वेल/ नल कूप संबंधित कार्य, सडक निर्माण, राजकीय शिक्षण संस्थाओं के लिए भवन निर्माण, सम्पर्क सडक, पुलिया/ रपट निर्माण, पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधायें, चिकित्सालय / डिस्पेंसरी भवन निर्माण, पशु चिकित्सालय भवन निर्माण, पुस्तकालय भवन, सार्वजनिक शौचालय निर्माण आदि कार्य कराये जा सकेंगे ।

5.0 योजनान्तर्गत नहीं कराये जा सकने वाले कार्य :– □

5.1 किसी भी पंजीकृत संस्था / ट्रस्ट को स्वयं की परिसम्पत्तियां बनाने के लिये राशि स्वीकृत नहीं की जावेगी ।

5.2 इस योजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्यो हेतु राशि स्वीकृत नहीं की जा सकेगी :

(अ) अनुदान एवं ऋण ।

(ब) वाणिज्यिक संगठन / निजि संस्था के लिए परिसम्पत्ति ।

(स) केवल वस्तु / सामान की खरीद ।

(द) भूमि के लिए अधिग्रहण एवं अधिगृहित भूमि के लिए मुआवजा ।

(य) व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति ।

(र) धार्मिक पूजा स्थल ।

5.3 आवृतक व्यय ।

6.0 कार्यो की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन :–

6.1 स्व–विवेक जिला विकास योजना की स्वीकृति व क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी जिला स्तर पर जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) होगी ।

6.2 स्व विवेक जिला विकास योजनान्तर्गत जिला कलक्टर को उपलब्ध बजट की सीमा में जन आकांक्षाओं के अनुरूप सार्वजनिक उपयोग के कार्यो के लिए राशि स्वीकृत करने का अधिकार होगा ।

6.3 विकास कार्यो की स्वीकृति ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम स्तर से जारी की जा सकेगी ।

6.4 स्वीकृत कार्यो का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जावेगा । विशेष परिस्थितियों में कार्य संबंधित विभाग द्वारा भी ग्रामीण कार्य निर्देशिका की अनुमोदित दरों पर करवाये जा सकते हैं, परन्तु इसके लिए किसी प्रकार के प्रोरेटा चार्जेज देय नहीं होगें ।

7.0 प्रबोधन व्यवस्था :–

7.1 निर्माणाधीन कार्यो का निरीक्षण विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप किया जावेगा ।

7.2 इस योजनान्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यो का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला परिषद द्वारा योजनान्तर्गत अर्जित की जाने वाली वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रति माह निर्धारित प्रारूप में ग्रामीण विकास विभाग को माह समाप्ति के बाद 8 दिवस में भिजवानी होगी तथा त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक त्रैमास समाप्ति के 15 दिवस में भिजवानी होगी ।

8.0 धनराशि का अवमोचन :–

8.1 राज्य स्तर से योजना मद की राशि प्रति वर्ष लेखानुदान/बजट पारित होने के बाद प्रत्येक जिले को वार्षिक आवंटन का 50 प्रतिशत अंश प्रथम किश्त के रूप में जिला परिषद(ग्रामीण प्रकोष्ठ)को अवमुक्त किया जायेगा बशर्ते जिले में गत वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत उपलब्ध रही कुल राशि (गत वित्तीय वर्ष के एक अप्रेल का अवशेष + चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि) के 60 प्रतिशत या इससे अधिक व्यय कर लिया हो । शेष 50 प्रतिशत राशि जिले द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में उनके यहां उपलब्ध रही राशि (गत वित्तीय वर्ष के एक अप्रेल का अवशेष + चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त प्रथम किश्त की राशि) 60 प्रतिशत से अधिक व्यय करने तथा द्वितीय किश्त प्राप्त करने हेतु क्लेम मय गत वर्ष की सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट व उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जारी की जावेगी ।

8.2 प्रस्तावित कार्य (अनुमत योग्य) को अन्य योजना मद की राशि के साथ डबटेल कर स्वीकृत किया जा सकेगा बशर्ते उस अन्य योजना मद की राशि का प्राप्त होना सुनिश्चित हो तथा वह कार्य उस अन्य योजना मद में भी अनुमत हो ।

9.00 कार्यो के तकमीने तैयार कराना एवं उनका क्रियान्वयन :–

विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका – 2004 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप कार्यो के तकमीने तैयार करवायें जावेंगे तथा उनका क्रियान्वयन करवाया जावेंगा।

10.0 पूर्णता प्रमाण पत्र :–

निर्मित कार्यो के पूर्णता प्रमाण पत्र भी विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका– 2004 के अनुरूप तैयार करवाये जावेंगे।

11.0 अभिलेख संधारण :–

अभिलेख संधारण विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका –2004 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप तैयार करवाये जावेंगे।

12.0 परिसम्पतियों का ब्यौरा :–

योजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली सभी परिसम्पतियों के ब्योरे का संधारण विभाग द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका –2004 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप किया जावेंगा ।

13.0 अंकेक्षण :–

जिला स्तर पर योजना के लेखों का प्रति वर्ष सनदी लेखाकार द्वारा अंकेक्षण करवाया जाकर अंकेक्षण रिपोर्ट वर्ष की समाप्ति के तीन माह बाद विभाग को भिजवायी जावेंगी ।

14.0 नोडल विभाग :–

राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग उक्त योजना का नोडल डिपार्टमेन्ट होगा तथा जिला स्तर पर जिला परिषद(ग्रामीण प्रकोष्ठ) नोडल एजेंसी होगी।

(रोहित कुमार सिंह)
शासन सचिव

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक : प.6(1)ग्रा.वि / ग्रुप–6 / 04 जयपुर, दिनांक 10 नवम्बर, 2006

प्रतिलिपि सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर ।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री , राजस्थान / सचिव, राजस्थान विधान सभा , जयपुर ।
3. विशिष्ठ सहायक , माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज0, जयपुर ।
4. निजि सहायक, मा0 राज्य मंत्री, ग्रा0वि0एवं पं0राज विभाग, राज0 जयपुर ।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव ,राजस्थान।
6. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव (विकास)।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
8. प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव .... ।
9. संभागीय आयुक्त, अजमेर / बीकानेर / भरतपुर / जयपुर / जोधपुर / कोटा / उदयपुर ।
10. उप शासन सचिव, आयोजना विभाग ।
11. शासन उप सचिव (प्रशासन) / परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, (समस्त)........... ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर ।
12. जिला कलेक्टर (समस्त)............. ।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ....(समस्त)।
14. रक्षित पत्रावली ।

परियोजना निदेशक(एस.ए.पी.)
एवं पदेन उप सचिव

Monthly Progress Report - Swavivek Zila Vikas Yojana

District:- **Month:-**

(1) Amount available on 1-4-2006 --------------
(2) Amount released during the year 2006-2007 --------------

Total(A) -------------

INCOMPLETE WORKS OF PREVIOUS YEARS
(3) No. of incomplete works as on 1.4.2006 --------------
(4) Amount required to complete the incomplete works of previous years as on 1.4.2006 (B) -------------

Net available for new works (A - B) = ---------------

SANCTION WORKS OF CURRENT YEAR
(5) No. of sanctioned works* --------------
(6) Cost of sanctioned works --------------
EXPENDITURE (Rs. in lacs)
(7) On incomplete works of previous years -------------
(8) On works sanctioned in the current year ------------
(9) Total expenditure -----------

NO. OF COMPLETE WORKS
(10) Out of Incomplete works of pre. years ------------
(11) Out of New sanctioned works of current year -----------

No. of cancelled works
(12) Out of Works of Previous years ------------
(13) Out of New Sanctions ------------

NO. OF ONGOING WORKS
Out of Incomplete works of pre. years
(14) Out of sanctioned works in 2005-2006 -------------
(15) Out of sanctioned works in current year ------------

NO. OF WORKS NOT STARTED
(16) Out of Incomplete works of pre. years ------------
(17) Out of sanctioned of current year -----------
(18) No. of Incomoplete & closed works -----------

Zila Collector

* List of work may please be enclosed separately

S.No.	Name of work	Yr. of sanc.	Gram	G.P.	P.S.	Cost of work	Exp.incurred	Present Position	UC position
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10